न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर एवं पदेन भू–अभिलेख निदेशक
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 राजेश शर्मा, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 33 / 2022

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. देवीसिंह पुत्री श्री भीकसिंह जाति राजपूत निवासी नाहरसिंह नगर तेना तहसील शेरगढ जिला जोधपुर		1. राजस्थान सरकार

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व आदेश, उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ द्वारा प्रकरण संख्या राजस्व / प्र.गा. स.अ. / 2021 / 405 दिनांक 26.11.2021 को पारित किया गया।

उपस्थितीः—

1. श्री मनोहर सिंह राठौड, अधिवक्ता अपीलान्टस की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 8 फरवरी, 2022

1. अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ के द्वारा आदेश क्रमांक प्र.ग.सं / 2021 / 69 दिनांक 14.10.2021 को पारित आदेश के विरूद्व यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलान्ट के अधिवक्ता को अपील पर सुना गया।

2. दौरान सुनवाई अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक तहसीलदार शेरगढ के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 131,132 व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट के आधार पर एक प्रार्थना पत्र प्रशासन गांवों के संग अभियान में अपीलाधीन आदेश में वर्णित ग्राम नाहरसिंह नगर, तेना की विभिन्न खसरान की रकबा भूमि में से सार्वजनिक रास्ता घोषित करने हेतु अनुशंसा की जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उक्त भूमि को

8/2/2022
डिवीजनल कमिश्नर

सार्वजनिक रास्ते के रूप में दर्ज कर रास्ता घोषित करने का आदेश पारित कर दिया जिससे अपीलान्ट व्यथित पक्षकार होने से यह अपील प्रस्तुत कर रहा है।

3. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि आदेश में वर्णित खसरा नं. 21 रकबा 35.16 बीघा अपीलांट की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि में किसी प्रकार का सार्वजनिक रास्ता नहीं है तथा इनके अडौस पडौस में अन्य खसरा नंबर की खातेदारी भूमिया है। जिनमें जाने के लिए रास्ते हेतु एक मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर तहसीदार शेरगढ ने उपखंड अधिकारी शेरगढ को वर्णित खसरान की भूमि में सार्वजनिक रास्ता घोषित करने की अनुशंषा की जिस पर श्रीमान उपखंड अधिकारी शेरगढ ने एक तरफा आवेदन पत्र की सुनवाई की तथा अपीलार्थी को किसी प्रकार के नोटिस जारी नहीं किये गये ना ही कोई सूचना दी गई तथा ना ही तामिल की गई। किसी प्रकार का सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही एक तरफा कार्यवाही करते हुए अपने आदेश दिनांक 26.11.2021 के द्वारा अपीलार्थी की कृषि भूमि खसरा नं. 21 रकबा 36.16 बीघा भूमि में से .06 बीघा भूमि को सार्वजनिक रास्ते के रूप में दर्ज कर रास्ता घोषित करने का आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त योग्य है।

4. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलार्थी के कृषि भूमि में पूर्व में किसी प्रकार का कोई रास्ता नही चलता है तथा ना ही कोई कदीमी रास्ता है न ही वहां पर रास्ते हेतु किसी प्रकार का काई आवेदन किया गया है। इसके बावजूद भी बिना किसी प्रकार का मौका देखे तथा अपीलार्थी को किसी प्रकार सुनवाई का अवसर दिये बिना रिपोर्ट बनाई गई है जो सरारस गलत है तथा उसी को आधार मानकार के अपीलार्थी की कृषि भूमि में से सार्व. रास्ता घोषित किया गया है तथा बिना विधिक प्रकिया अपनाये एवं सार्वजनिक रास्ते के संबंध में जारी परिपत्र के विरूद्व जाकर के आदेश पारित किया गया है।

5. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि एक काश्तकार अपनी कृषि भूमि से दूसरी कृषि भूमि में जाने के लिए अगर रास्ते की प्रार्थना पत्र पेश करता है। तो उसके लिए धारा 251–ए एवं धारा 88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में प्रावधान दिया गया है। तथा उक्त प्रावधान के अंतर्गत उपखंड अधिकारी दोनो पक्षो को

9/2/2022
कमिश्नर

सुनकर आदेश पारित करने में सक्षम न्यायालय है एवं उक्त धारा में क्षतिपूर्ति देने का भी प्रावधान है । लेकिन माननीय न्यायालय ने उक्त आदेश धारा 131,132,136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पारित किया है। जो कि कानूनी प्रावधानो के विपरीत है। राज्य सरकरार के परिपत्र दिनांक 10.8.2016 के द्वारा भी यदि रास्ते के संबंध में कोई आदेश पारित किया जाता है तो उसमें भी दोनो पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देने का प्रावधान है। लेकिन माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने एक तरफा आलोच्य आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.11.2021 को निरस्त किया जावें।

6. हमने अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अपील में दर्शाये गये तथ्यों का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने अपनी अपील में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध प्रमुखतः यह आपत्ति उठाई है कि वे आदेश में वर्णित उनके खसरा संख्या 21 रकबा 35.16 बीघा भूमि में रकबा .06 बीघा का सार्वजनिक रास्ता घोषित कर गैर मुमकीन रास्ता दर्ज करने व नक्शे में रास्ते की भूमि का लाल स्याही का अंकन किये जाने का प्रशासन ग्रामों के संग अभियान, 2021 में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.11.2021 को जो आदेश पारित किया है, वो आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही पारित किया गया है ऐसे में जो अपीलाधीन आदेश दिया है वह भी विधि अनुरूप नहीं है।

7. किसी खातेदार की खातेदारी भूमि को किसी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग आने पर यानि आवागमन के रास्ते के रूप में उपयोग आने पर उसे अधिकृत रूप से रास्ता घोषित किये जाने एवं राजस्व रेकर्ड नक्शा लठठा ट्रेस में उक्त प्रकार से तरमीम किये जाने का आदेश दिये जाने से पूर्व उनकी मौखिक एवं लिखित सहमति लिया जाना एवं उसका पक्ष जानने/सुनवाई का अवसर दिया जाना प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के तहत एवं काननून आवश्यक होता है।

8. इस स्थिति में प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के दृष्टिगत हमारी विनम्र राय में उक्त प्रकरण में अपीलार्थी की अंकित खसरान भूमि के सम्बन्ध में अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से

9/2/2022
कमिश्नर

संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः नये सिरे से यथोचित आदेश पारित करने हेतु उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

9. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त ऑब्जर्वेशनों को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण में अपीलार्थी की रकबा भूमि के सम्बन्ध में उनको अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः नये सिरे से 01 माह की अवधि में यथोचित आदेश पारित करें। निर्णय आज दिनाक 8 फरवरी, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

8/2/2022

(डॉ0 राजेश शर्मा)
डिविजनल कमिश्नर,
जोधपुर